अन्तिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई–5, अरेरा कालोनी

बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016

भोपाल, दिनांक : 07 दिसंबर, 2012

क्रमांक–3359–मप्रविनिआ–2012, विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181(2)(एच) तथा धारा 181(2)(जेडडी) सहपठित धाराओं 36 तथा 61 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा निम्न विनियम बनाता है :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2012 {आरजी–28 (II), वर्ष 2012}

प्रस्तावना

जबकि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005 (जी–28, वर्ष 2005) की प्रथम नियंत्रण अवधि का समापन 31 मार्च, 2009 को हुआ। आयोग द्वारा द्वितीय बहुवर्षीय टैरिफ नियंत्रण अवधि सिद्धांत तथा क्रियाविधियों को वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 2011–12 तक विनिर्दिष्ट किये जाने के संबंध में प्रथम पुनरीक्षण {आरजी–28(1), वर्ष 2009} दिनांक 30 अप्रैल, 2009 को दिनांक 8 मई, 2009, को अधिसूचित किया गया। आयोग द्वारा चतुर्थ संशोधन दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा इस नियंत्रण अवधि को माह मार्च, 2013 तक बढ़ा दिया गया। अतएव आगामी नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु, विद्युत पारेषण की निबंधन तथा शर्तें विनिर्दिष्ट किये जाने हेतु ये विनियम अधिसूचित किये जा रहे हैं।

अध्याय – एक

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ : 1.1 ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2012 {आरजी–28(II), वर्ष 2012}"** कहलायेंगे।

1.2 इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा ।

1.3 ये विनियम मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के बाद दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से लागू होंगे तथा जब तक आयोग द्वारा इनकी पूर्व में किसी प्रकार की समीक्षा न की जाए अथवा समयावधि में विस्तार न किया जाए, ये विनियम दिनांक 31.3.2016 तक लागू रहेंगे।

2. विस्तार तथा लागू किये जाने की सीमा :

2.1 ये विनियम विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अन्तर्गत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों/खुली पहुंच उपभोक्ता के टैरिफ अवधारण संबंधी समस्त प्रकरणों पर लागू होंगे जहां पारेषण प्रणाली की क्षमता का आवंटन मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्य प्रदेश राज्य में खुली पहुंच प्रणाली की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005, यथासंशोधित के अन्तर्गत किया गया हो, परन्तु उन पर लागू न होंगे जहां टैरिफ का अवधारण अधिनियम की धारा 63 के उपबन्धों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसार किया गया हो ।

3. प्रचालन के मानदण्डों का परिसीमन उच्चस्थ होना :

3.1 शंकाओं के निवारण के उद्देश्य से यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रचालन के मानदण्डों का परिसीमन सर्वोच्च है तथा यह पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों तथा हितग्राहियों को प्रोन्नत मानदण्डों पर सहमति से प्रतिबंधित नहीं करेगा तथा इस प्रकार से सहमत किये गये प्रोन्नत मानदण्ड टैरिफ अवधारण हेतु प्रयोज्य होंगे ।

4. परिभाषाएं :

4.1 इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो –

(ए) ''अधिनियम (Act) '' से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003);

(बी) ''लेखांकन विवरण–पत्र (Accounting Statement)'' से अभिप्रेत है प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु निम्नलिखित विवरण–पत्र, अर्थातः

(i) कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग I में अन्तर्विष्ट प्ररूप (Form) फार्म के अनुसार तैयार किया गया तुलन–पत्र (बैलेंस शीट); मय संबंधित टिप्पणियों तथा ऐसे अन्य सहायक विवरण–पत्रों तथा जानकारी के, जैसा कि वे आयोग द्वारा समय–समय पर आदेशित किये जाए;

(ii) कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग II की अर्हताओं के परिपालन में लाभ–हानि लेखा;

(iii) इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊटेंट्स ऑफ इण्डिया के रोकड़–प्रवाह विवरण–पत्र (कैश–फ्लो स्टेटमेन्ट) (एएस–3) के लेखांकन मानक के अनुसार तैयार किया गया रोकड़ प्रवाह विवरण–पत्र;

(iv) अनुज्ञप्तिधारी के वैधानिक अंकेक्षक(ों) का प्रतिवेदन;

(v) संचालकों का प्रतिवेदन तथा लेखांकन नीतियां;

(vi) केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(डी) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किये गये लागत अभिलेख, यदि कोई हों;

(सी) ''अतिरिक्त पूंजीकरण (Additional Capitalization)'' से अभिप्रेत है वास्तविक रुप से किया गया पूंजीगत व्यय अथवा जिसे परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से व्यय किया जाना प्रक्षेपित किया गया है तथा आयोग द्वारा युक्तियुक्त परीक्षण उपरान्त विनियम 18 के उपबन्धों के अध्यधीन स्वीकार किया गया है;

(डी) ''आवेदक (Applicant)'' से अभिप्रेत है एक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी जिसके द्वारा इन विनियमों के अनुसार टैरिफ अवधारण हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है तथा इसमें सम्मिलित है एक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी जिसका टैरिफ, आयोग द्वारा स्वविवेक याचिका अथवा किसी अभिरूचि रखने वाले व्यक्ति अथवा प्रभावित हितग्राही की याचिका के माध्यम से समीक्षा के अध्यधीन है;

(ई) ''अंकेक्षक (Auditor)'' से अभिप्रेत है कम्पनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1, वर्ष 1956) की धारा 224, 233(बी) तथा 619 के उपबंधों अथवा फिलहाल लागू अन्य किसी प्रभावशील कानून के अंतर्गत पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियुक्त किया गया कोई अंकेक्षक;

(एफ) ''उपलब्धता (Availability)'' का किसी पारेषण प्रणाली के संबंध में किसी प्रदत्त समय हेतु, से अभिप्रेत है उक्त अवधि में घंटों में समय जिस हेतु पारेषण प्रणाली उसके द्वारा घोषित वोल्टेज पर विद्युत पारेषण उसके वितरण बिन्दु तक ले जाने में सक्षम है तथा इसे प्रदत्त समय हेतु कुल घंटों के प्रतिशत में अभिव्यक्त किया जाएगा;

(जी) ''हितग्राही (Beneficiary)'' से अभिप्रेत है दीर्घ–अवधि, मध्यम–अवधि अथवा लघु–अवधि के पारेषण उपभोक्ता जिनकी विद्युत–दर (टैरिफ) का अवधारण इन विनियमों के अंतर्गत किया जा रहा है;

(एच) ''कानून में परिवर्तन (Change in law)'' से अभिप्रेत है निम्न घटनाओं में से किसी भी एक घटना का पाया जाना :

(i) किसी भी कानून का अधिनियमन, इसको प्रभावशील किया जाना, इसका प्रवर्तित होना, संशोधित किया जाना, इसमें संपरिवर्तन किया जाना अथवा निरसन किया जाना; अथवा

(ii) किसी सक्षम न्यायालय, न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) अथवा भारत शासन का अनुदेश जो ऐसी व्याख्या हेतु कानून के अन्तर्गत अन्तिम प्राधिकार है, द्वारा किसी भी कानून की व्याख्या में परिवर्तन किया जाना; अथवा

(iii) किसी परियोजना हेतु, किसी सम्मति में, अनुमोदन में अथवा उपलब्ध कराई गई अथवा प्राप्त की गई अनुज्ञप्ति में किसी सक्षम वैधानिक प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई परिवर्तन;

(आई) ''आयोग (Commission)'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission) ;

(जे) ''पृथक्कृत तिथि (Cut off date)'' में अभिप्रेत है, 31 मार्च की तिथि जो परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन वर्ष के दो वर्षों के उपरांत बंद होती है तथा ऐसे प्रकरण में, जहां परियोजना को वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत किसी वर्ष के अन्तिम त्रैमास में घोषित किया जाता है, वहां पृथक्कृत तिथि, वाणिज्यिक प्रचालन वर्ष के तीन वर्षों के बाद, उक्त वर्ष की 31 मार्च होगी;

(के) ''वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (Date of Commercial Operation-COD)" का किसी पारेषण प्रणाली के संबंध में अभिप्रेत है, 00.00 बजे से पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा घोषित की गई तिथि जिसके अन्तर्गत पारेषण प्रणाली का कोई एक तत्व, एक सफल प्रभारण (Charging) तथा परीक्षण प्रचालन के उपरान्त उसके निर्धारित वोल्टेज स्तर पर नियमित सेवा में कार्यरत हैं :

परन्तु यह तिथि किसी कलेण्डर माह की प्रथम तिथि होगी तथा तत्व हेतु पारेषण प्रभार भुगतान योग्य होगा तथा इसकी उपलब्धता को उक्त तिथि से लेखांकित किया जाएगा :

परन्तु आगे यह भी कि यदि पारेषण प्रणाली का कोई एक तत्व नियमित सेवा हेतु तैयार है परन्तु जिसे सेवा प्रदाय हेतु प्रतिबाधित किया जाता है जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, उसके प्रदायकों अथवा ठेकेदारों के कारण नहीं है तो ऐसी दशा में आयोग उक्त तत्व के नियमित सेवा में आने से पूर्व की किसी तिथि को वाणिज्यिक तिथि अनुमोदित कर सकेगा :

(एल) ''विद्यमान परियोजना (Existing Project)'' से अभिप्रेत है दिनांक 1.4.2013 से पूर्व किसी वाणिज्यिक प्रचालन तिथि को घोषित की गई परियोजना;

(एम) ''किया गया व्यय (Expenditure incurred)'' से अभिप्रेत है कोई निधि, भले वह पूंजी (Equity) अथवा ऋण (debt) दोनों हों, जिसे उपयोगी परिसम्पत्तियों के सृजन अथवा अधिप्राप्ति हेतु, वास्तविक रुप से रोकड़ अथवा रोकड़ समतुल्य भुगतान किया गया है तथा इनमें वे वचनबद्धताएं अथवा दायित्व शामिल न होंगे, जिन हेतु कोई राशि मुक्त नहीं की गई है;

(एन) ''दीर्घ–अवधि पारेषण क्रेता (Long-Term Transmission Customer)'' से अभिप्रेत है एक व्यक्ति जो पारेषण प्रभारों के भुगतान के प्राधिकार द्वारा अन्तर्राज्यीय/राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली के संबंध में तीन वर्षों की अधिक अवधि से एक दीर्घ–अवधि ग्रहणाधिकार रखता है तथा एक वितरण अनुज्ञप्तिधारी अनिवार्य रूप से एक दीर्घ–अवधि प्रयोक्ता होगा जिस हेतु उसे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से दीर्घ–अवधि अनुबंध निष्पादित करना होगा;

(ओ) ''मध्यम–अवधि पारेषण क्रेता (Medium-Term Transmission Customer)'' से अभिप्रेत है एक व्यक्ति जो पारेषण प्रभारों के भुगतान के आधार पर अन्तर्राज्यीय/राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली के संबंध में, तीन माह से अधिक तथा 3 वर्ष से अनाधिक अवधि तक ग्रहणाधिकार रखता हो;

(पी) ''अधिकारी (Officer)'' से अभिप्रेत है, आयोग का कोई अधिकारी;

(क्यू) ''प्रचालन तथा संधारण व्यय (Operation & Maintenance Expenses - O & M Expenses)'' से अभिप्रेत है परियोजना अथवा उसके किसी अंश पर के प्रचालन तथा संधारण पर किया गया कोई व्यय तथा इसमें शामिल होंगे जनशक्ति, मरम्मत, कल–पुर्जों, उपभोग्य वस्तुओं, बीमा तथा उपरिव्यय (Overheads) पर किये गये व्यय;

(आर) ''मूल परियोजना लागत (Original Project Cost)'' से अभिप्रेत है पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पृथक्कृत दिनांक तक परियोजना के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत किया गया पूंजीगत व्यय, जैसा कि इसे आयोग द्वारा स्वीकार किया गया हो;

(एस) ''परियोजना (Project)'' से अभिप्रेत है पारेषण प्रणाली;

(टी) ''निर्धारित वोल्टेज (Rated Voltage)'' से अभिप्रेत है विनिर्माता द्वारा रूपांकित की गई वोल्टेज जिस पर पारेषण प्रणाली प्रचालन हेतु रूपांकित की गई है अथवा ऐसी निम्न वोल्टेज जिस पर पारेषण लाईन को तत्समय दीर्घ–अवधि पारेषण क्रेताओं से परामर्श कर, प्रभारित किया गया हो;

(यू) ''सचिव'' से अभिप्रेत है आयोग के सचिव;

(वी) ''लघु–अवधि पारेषण क्रेता (Short-Term Transmission Customer)'' किसी पारेषण प्रणाली के प्रयोग के संदर्भ में अभिप्रेत है एक व्यक्ति, जो पारेषण प्रभारों के भुगतान के प्राधिकार द्वारा अन्तर्राज्यीय/राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली के संबंध में तीन माह की लघु–अवधि हेतु ग्रहणाधिकार रखता हो;

(डब्लू) ''विद्युत–दर या टैरिफ (Tariff)'' से अभिप्रेत है विद्युत पारेषण हेतु प्रभारों की अनुसूची के साथ–साथ उसकी निबंधन एवं शर्तें;

(एक्स) ''टैरिफ अवधि (Tariff Period)'' से अभिप्रेत है इन विनियमों के अंतर्गत वह अवधि जिस हेतु आयोग द्वारा विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारित की जाती है;

(वाई) ''पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (Transmission Licensee)'' से अभिप्रेत है एक अनुज्ञप्तिधारी जिसे राज्यान्तरिक पारेषण तन्तुपथ (Transmission Lines) को स्थापित किये जाने अथवा उसको प्रचालित किये जाने हेतु प्राधिकृत किया गया है;

(जेड) ''पारेषण सेवा अनुबंध (Transmission Service Agreement)'' से अभिप्रेत है कोई अनुबंध, संविदा, परस्पर समझौते का ज्ञापन–पत्र (Memorandum of Understanding) अथवा ऐसी व्यवस्थाएं (Convenants) जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा पारेषण प्रणाली के दीर्घ–अवधि क्रेता(ओं) के मध्य निष्पादित की गई हों;

(एए) ''पारेषण प्रणाली (Transmission System)'' से अभिप्रेत है कतिपय तन्तुपथ (लाईन) जो उपकेन्द्रों से संबद्ध या असंबंद्ध है अथवा अन्तर्संयोजित तन्तुपथों के समूह के साथ संबद्ध या असंबद्ध उपकेन्द्र तथा इस परिभाषा में पारेषण लाईनों एवं उपकेन्द्रों से संबद्ध उपकरण भी शामिल हैं;

(बीबी) ''पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक (Transmission System Availability Factor)'' से अभिप्रेत है पारेषण प्रणाली की उपलब्धता जैसा कि इसे राज्य भार पारेषण केन्द्र द्वारा प्रमाणित किया गया हो;

(सीसी) ''उपयोगी जीवनकाल (Useful Life)'' किसी पारेषण प्रणाली की इकाई के इसकी वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के संबंध में अभिप्रेत है किसी उपकेन्द्र हेतु 25 वर्ष तथा पारेषण तन्तुपथ हेतु 35 वर्ष का जीवनकाल;

(डीडी) ''वर्ष (Year)'' से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष,

4.2 इस विनियम में प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्तियां जो यहां परिभाषित नहीं की गई है, वहीं अर्थ रखेंगी जैसा कि इनके बारे में अधिनियम में दर्शाया गया है ।

5. टैरिफ का अवधारण (Determination of Tariff) :

5.1 आयोग निम्न प्रकरणों में अधिनियम की धारा 62 सहपठित धारा 86 तथा धारा 36 के अंतर्गत, टैरिफ तथा प्रभारों का निर्धारण मय उनकी शर्तों एवं निबंधन को सम्मिलित करते हुए करेगाः

(i) राज्यान्तरिक विद्युत पारेषण संबंधी;

(ii) अन्तर्वर्ती पारेषण सुविधाओं के उपयोगार्थ दरें एवं प्रभार, जिन पर अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा परस्पर समझौता नहीं किया जा सकता हो ।

5.2 अधिनियम के भाग 10 में चाहे कुछ भी निहित क्यों न हो, विद्युत के किसी अन्तर्राज्यीय पारेषण हेतु टैरिफ अवधारण जिसमें दो राज्यों के क्षेत्र सन्निहित हों, ऐसे पारेषण के इच्छुक

पक्षकारों द्वारा आयोग को आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर, आयोग द्वारा टैरिफ का अवधारण ऐसे प्रकरणों में किया जा सकेगा जहां ऐसी प्रणाली के उपयोग का उद्देश्य पूर्णरूपेण अनुज्ञप्तिधारी के हित में हो तथा यह भी कि ऐसा अनुज्ञप्तिधारी आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता हो ।

6. टैरिफ अवधारण के सिद्धांत (Principles of Tariff Determination) :

6.1 आयोग द्वारा इन विनियमों के अंतर्गत टैरिफ अवधारण की निबंधन एवं शर्तों को विनिर्दिष्ट करते समय अधिनियम की धारा 61 में निहित सिद्धान्तों के मार्गदर्शन का अनुसरण किया गया है।

6.2 इस विनियम का उद्देश्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को सुस्थिर वाणिज्यिक सिद्धान्तों पर प्रचालन किये जाने हेतु प्रोत्साहित करना है । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को उनके लेखांकन विवरण पत्र, कंपनी कानून की अर्हता के अनुसार तैयार करने होंगे जो उसे आयोग को विनियम 9.1 में दिये गये विवरणानुसार नियमित रूप से प्रस्तुत करने होंगे । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञेय किया गया प्रोत्साहन, आयोग द्वारा निर्धारित किये गये प्रचालन मानदण्डों के विनिर्दिष्ट स्तरों के अनुसार, किये गये निष्पादन पर निर्भर करेगा। परिसम्पत्ति आधार में सम्मिलित किये जाने हेतु केवल युक्तियुक्त पूंजीगत व्यय को ही मान्य किया जाएगा।

6.3 इन विनियमों में अपनाए गये बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, वाणिज्यिक सिद्धान्तों को अपनाया जाना, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की कार्यकुशल कार्यप्रणाली को बढ़ावा देना तथा हितग्राहियों के हितों को संरक्षण प्रदान करना है । टैरिफ अवधि हेतु, प्रचालन तथा लागत मानदण्ड, पूर्व अवधि में किये गये निष्पादनों के आधार पर विनिर्दिष्ट किये गये हैं । स्वीकार्य विद्युत दरों (टैरिफ) का अवधारण इन मानदण्डों के अनुसार किया जाएगा। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों से बेहतर प्रदर्शन दर्शाये जाने पर बचत का एक भाग पुरस्कार के रूप में स्वयं के पास रखने की अनुमति प्रदान की गई है । इसके द्वारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से दक्ष निष्पादन तथा संसाधनों के मितव्ययी उपयोग को प्रोत्साहित किये जाने की अपेक्षा की जाती है ।

6.4 केवल ऐसे पूंजी–निवेश तथा पूंजीगत व्यय, जो इस संबंध में आयोग द्वारा विरचित दिशा–निर्देशों के अनुरूप होंगे, को ही टैरिफ के माध्यम से वसूली किये जाने की अनुमति

प्रदान की जाएगी । इस विधि के उपयोग द्वारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से युक्तियुक्त पूंजी निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जा सकेगा ।

7. टैरिफ अवधारण हेतु आवेदन प्रस्तुति की प्रक्रिया (Procedure for making an application for Determination of Tariff) :

7.1 टैरिफ अवधारण हेतु आवेदन–पत्र इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार तथा विनिर्दिष्ट किये गये शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जाएगा ।

7.2 आयोग को सदैव पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की किसी स्वविवेक याचिका द्वारा अथवा किसी अभिरूचि रखने वाले या प्रभावित पक्षकार द्वारा दायर याचिका पर टैरिफ तथा उसके निबन्धन तथा शर्तों के अवधारण का अधिकार होगा तथा उसके द्वारा ऐसे अवधारण की प्रक्रिया को, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, पहल की जा सकेगी :

परन्तु ऐसे टैरिफ के साथ–साथ उससे संबंधित निबंधन तथा शर्तों के अवधारण संबंधी कार्यवाही को कार्य संचालन विनियमों, यथासंशोधित, में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार क्रियान्वित किया जाएगा ।

7.3 आवेदक, आयोग को आवेदन के एक भाग के रूप में ऐसे प्ररूपों में, जैसा कि वे आयोग द्वारा निर्दिष्ट किये जाएं, हार्ड तथा सॉफ्ट प्रतियों में जानकारी प्रस्तुत करेगा।

7.4 आयोग अथवा सचिव अथवा आयोग द्वारा इस प्रयोज्य से नामोद्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा आवेदन के सूक्ष्म परीक्षण उपरांत आवेदक को कतिपय अतिरिक्त जानकारी अथवा विवरण अथवा अभिलेख जो आवेदन को प्रक्रियाबद्ध किये जाने के प्रयोजन से अनिवार्य समझे जाएं, प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जा सकेगा।

7.5 समस्त वांछित जानकारी, विवरण एवं अभिलेख जो अर्हताओं के परिपालनार्थ आवश्यक हों, के सम्पूर्ण आवेदन के साथ प्राप्त होने की दशा में ही आवेदन को प्राप्त किया गया माना जाएगा तथा आयोग अथवा सचिव अथवा इस प्रयोज्य से नामोद्दिष्ट अधिकारी आवेदन को संक्षिप्त रूप में एवं विधि अनुसार आवेदक को सूचित करेंगे कि आवेदन प्रकाशन हेतु तैयार है, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए {कृपया देखें मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कम्पनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण और इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 समय–समय पर यथासंशोधित } । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी

द्वारा आयोग को प्रस्तुत की गई अपनी याचिका के समस्त विवरण आयोग द्वारा उसे स्वीकार किये जाने की तिथि से तीन कार्यकारी दिवस के अंदर अपनी वैबसाईट पर प्रदर्शित करने होंगे।

7.6 आवेदक आयोग को ऐसी समस्त पुस्तकें तथा अभिलेख (अथवा उनकी प्रमाणित सत्य–प्रतिलिपियां) के साथ लेखांकन विवरण–पत्र, प्रचालन तथा लागत आंकड़े जैसा कि वे आयोग द्वारा टैरिफ के अवधारण हेतु चाहे जाएं, प्रस्तुत करेगा ।

7.7 आयोग, यदि उचित समझे, तो वह किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को ऐसी जानकारी जो आवेदक ने आयोग को प्रस्तुत की है, मय ऐसी पुस्तकों तथा अभिलेखों की संक्षेपिका के (अथवा उनकी प्रमाणित सत्य–प्रतिलिपियों के) उपलब्ध करा सकेगा :

परन्तु आयोग कतिपय आदेश जारी कर, यह निर्देशित कर सकेगा कि आयोग द्वारा संधारित की जाने वाली ऐसी जानकारी, अभिलेख व पत्र/सामग्रियां गोपनीय अथवा विशेषाधिकारयुक्त होगी जो निरीक्षण हेतु अथवा प्रमाणित प्रतिलिपियों के रूप में उपलब्ध नहीं कराई जा सकेंगी तथा आयोग यह भी निर्देशित कर सकेगा कि ऐसे अभिलेख, पत्र अथवा सामग्री को किसी ऐसी रीति द्वारा उपयोग न किया जा सकेगा, सिवाय जैसा कि आयोग द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किया जाए ।

8. टैरिफ अवधारण तथा उसके सत्यापन की रीति (Methodology for Determination of Tariff and True up) :

8.1 आयोग समय–समय पर पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की टैरिफ अवधियों का निर्धारण करेगा । टैरिफ अवधारण के सिद्धान्त टैरिफ अवधि के दौरान प्रयोज्य होंगे । इन विनियमों के अन्तर्गत, टैरिफ अवधारण के मार्गदर्शी सिद्धान्त इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तिथि से माह मार्च, 2016 की अवधि तक वैध रहेंगे।

8.2 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हेतु टैरिफ का अवधारण अनुज्ञप्तिधारी की सम्पूर्ण टैरिफ प्रणाली हेतु किया जाएगा।

8.3 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा टैरिफ अवधि के आरंभ में एक याचिका दायर की जाएगी । आयोग द्वारा टैरिफ तथा उसका सत्यापन, जिस हेतु यह अनुरोध किया जा रहा है, के सूक्ष्म परीक्षण की समीक्षा पूंजीगत व्यय तथा वर्ष के दौरान किये गये अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के आधार पर

की जाएगी । तथापि, इस प्रकार के सत्यापन में किसी प्रकार के असामान्य तथा अनियंत्रणीय अन्तर पर आयोग द्वारा अपने स्वविवेक अनुसार विचार किया जा सकेगा ।

8.4 यदि अद्यतन रूप से वसूल किये गये टैरिफ की राशि सत्यापन उपरान्त किये गये अवधारित टैरिफ से अधिक हो तो ऐसी दशा में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दीर्घ–अवधि पारेषण हितग्राहियों को अधिक वसूल की गई राशि को भारतीय स्टेट बैंक की तत्संबंधी वर्ष हेतु दिनांक 1 अप्रैल को लागू आधार दर में 3.5 प्रतिशत जोड़कर साधारण ब्याज दर पर प्रत्यर्पण (Refund) किया जाएगा । इसी प्रकार, ऐसे प्रकरण में जहां वसूल किया गया टैरिफ सत्यापन उपरान्त अवधारित टैरिफ राशि से कम हो तो ऐसी दशा में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी दीर्घ–अवधि पारेषण हितग्राहियों से कम वसूल की गई राशि की वसूली तत्संबंधी वर्ष हेतु दिनांक 1 अप्रैल को लागू भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर में 3.5 प्रतिशत जोड़कर साधारण ब्याज के साथ करेगा जो आयोग द्वारा सत्यापन याचिका दायर किये जाने संबंधी विनिर्दिष्ट की गई समय–सीमा का अनुसरण किये जाने के अध्यधीन होगा। ऐसे प्रकरण में जहां यह पाया गया हो कि सत्यापन याचिका का दायर किया जाना पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये गये विलंब के कारण है तो कम की गई वसूली राशि पर ब्याज देय न होगा।

8.5 टैरिफ तथा सत्यापन याचिका की प्रस्तुति हार्ड तथा सॉफ्ट प्रतिलिपि में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी तथा उत्पादन कम्पनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण और इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004, समय–समय पर यथासंशोधित अथवा संबंधित विनियमों की अधिसूचना तिथि से तीस दिवस के भीतर, इनमें से जो भी बाद में घटित हो, में विनिर्दिष्ट अनुसार तथा निर्धारित प्ररूपों में प्रतिवर्ष 15 नवंबर तक की जाएगी ।

9. वार्षिक लेखे, प्रतिवेदनों आदि तैयार करना तथा उनका प्रस्तुतिकरण (Preparation and submission of Annual Accounts, Reports) :

9.1 प्रत्येक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को लेखों के वार्षिक विवरण–पत्र तथा ऐसी अन्य जानकारी जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत करने होंगे । वार्षिक लेखों की प्रस्तुति के अतिरिक्त, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को आयोग द्वारा समय–समय पर अधिसूचित विभिन्न विनियमों तथा संहिताओं की संसूचना अर्हताओं तथा अनुज्ञप्ति शर्तों का परिपालन करना होगा।

9.2 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वांछित जानकारी की प्रस्तुति के अभाव में, आयोग कतिपय स्वविवेक याचिका द्वारा कार्यवाही को प्रारंभ कर सकेगा।

10. टैरिफ अवधारण में अंतराल (Periodicity of Tariff Determination) :

10.1 किसी भी वित्तीय वर्ष में, टैरिफ अथवा टैरिफ का कोई भी अंश सामान्यतः एक से अधिक बार के अन्तराल में संशोधित नहीं किया जाएगा । आयोग, स्वयं द्वारा तुष्टि उपरांत तथा इस हेतु कारण लिखित में अभिलिखित किये जाने के पश्चात् ही, टैरिफ में संशोधन की अनुमति प्रदान कर सकेगा।

10.2 इन विनियमों के अन्य प्रावधानों के अधीन, किसी वित्तीय वर्ष हेतु स्वीकृत किये गये व्ययों की प्रतिपूर्ति, किसी अनुवर्ती अवधि हेतु स्वीकृत अवधारित टैरिफ में समायोजन के अध्यधीन होगी, यदि आयोग सन्तुष्ट हो कि किसी राशि आधिक्य अथवा कमी जो उसके वास्तविक अथवा किये गये व्ययों से संबंधित है, का समायोजन अपरिहार्य है एवं वह किन्हीं विशिष्ट कारणों से पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण में न होने के कारणवश है ।

11. सुनवाई (Hearings) :

11.1 टैरिफ आवेदन पर सुनवाई संबंधी प्रक्रिया, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति एवं इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004, समय–समय पर यथासंशोधित में विनिर्दिष्ट अनुसार की जाएगी।

12. आयोग के आदेश (Orders of the Commission) :

12.1 किसी याचिका के दायर किये जाने पर, आयोग पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से किसी अतिरिक्त जानकारी, विवरण, दस्तावेज, सार्वजनिक अभिलेख आदि, जैसा कि आयोग उचित समझे, की मांग कर सकेगा ताकि आयोग याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत गणनाओं, अनुमानों एवं अभिकथनों के मूल्यांकन हेतु समर्थ हो सके ।

12.2 जानकारी प्राप्त होने पर अथवा अन्यथा, आयोग मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति एवं इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम 2004, समय–समय पर यथासंशोधित के उपबंधों के अनुरूप समुचित आदेश जारी कर सकेगा ।

13. अनुमोदित विद्युत–दरसे अधिक प्रभारित करना (Charging of Tariff other than approved) :

13.1 किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को, जिसे हितग्राहियों से आयोग द्वारा अनुमोदित से भिन्न टैरिफ प्रभारित करते हुए पाया जाएगा, के संबंध में यह माना जाएगा कि उसके द्वारा आयोग के आदेशों का परिपालन नहीं किया गया है, उसे अधिनियम की धारा 142 के अन्तर्गत तथा अधिनियम के अन्य उपबंधों के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय अन्य किसी दायित्व बिना किसी पक्षपात के, दण्डित किये जाने की पात्रता होगी । ऐसे प्रकरण में जहां वसूल की गई राशि, आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई राशि से अधिक हो तो इस प्रकार अधिक वसूल की गई राशि को हितग्राहियों को, जिनके द्वारा अधिक राशि का भुगतान किया गया है मय उक्त अवधि के साधारण ब्याज के साथ, जिसकी दर तत्संबंधी वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति में भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर में 3.5 प्रतिशत जोड़कर होगी, मय आयोग द्वारा अधिरोपित शास्ति (penalty) के, प्रत्यर्पण (refund) की जाएगी।

14. पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की वार्षिक समीक्षा (Annual Review of Transmission Licensee) :

14.1 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ऐसी नियतकालिक विवरणिका (रिटर्न), जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए जिनमें प्रचालन तथा लागत आंकड़े दर्शाये गये हों, आयोग को उसके आदेश के परिपालन को सुनिश्चित किये जाने संबंधी अनुश्रवण (मानिटरिंग) हेतु, प्रस्तुत करेगा ।

14.2 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग को उसके निष्पादन के वार्षिक विवरण–पत्र तथा लेखा के साथ–साथ अंकेक्षित लेखों के अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा ।

अध्याय – दो

टैरिफ अवधारणा के सिद्धान्त तथा पद्धति

(Principles and Methodology for Determination of Tariff)

15. टैरिफ अवधारण संबंधी याचिका (Petition for Determination of Tariff) :

15.1 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों के अध्याय–1 में उपबंधों के परिपालन में ऐसे प्ररूपों (Forms) में संलग्न कर, जैसा कि इन्हें मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति एवं इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम 2004, समय–समय पर यथासंशोधित में विनिर्दिष्ट किया गया हो, के अनुसार तथा आयोग द्वारा इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किये गये सिद्धान्तों के आधार पर टैरिफ अवधारण बावत एक याचिका दायर करेगा । ये सिद्धांत इन विनियमों के प्रवृत होने की तिथि से माह मार्च, 2016 की अवधि हेतु कार्यान्वित किये जाएंगे ।

15.2 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हितग्राहियों अथवा दीर्घ–अवधि क्रेताओं को दिनांक 1.4.2013 से प्रारम्भ होने वाली अवधि से अनन्तिम तौर पर दिनांक 31.3.2013 को प्रयोज्य दर पर देयक प्रस्तुत किया जाना जारी रखेगा जब तक आयोग द्वारा इन विनियमों के अनुसार टैरिफ का अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है :

परन्तु जहां अनन्तिम रूप से बिल की गई विद्युत–दर (टैरिफ) आयोग द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत अनुमोदित अन्तिम विद्युत–दर से अधिक हो अथवा कम हो, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हितग्राहियों अथवा पारेषण क्रेताओं से, जैसा कि प्रकरण में लागू हो, इस राशि का प्रत्यर्पण अथवा वसूली भारतीय स्टेट बैंक की उक्त वर्ष हेतु 1 अप्रैल को प्रयोज्य आधार दर में 3.5 प्रतिशत जोड़कर समतुल्य दर पर छः माह के अंदर करेगा।

16. केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के सिद्धान्त (CERC's Principles) :

16.1 आयोग ने इन विनियमों की संरचना में केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी.ई.आर.सी) द्वारा उनकी उसकी अधिसूचना दिनांक 19.1.2009 द्वारा जारी टैरिफ विनियम संबंधी निबंधन एवं शर्तें, वर्ष 2009 में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों तथा पद्धतियों संबंधी आदेश, जो दिनांक 1 अप्रैल, 2009, से प्रभावशील है, से मार्गदर्शन प्राप्त किया है ।

17. पूंजीगत लागत एवं पूंजीगत ढांचा (Capital Cost and Capital Structure) :

17.1 किसी परियोजना की पूंजीगत लागत में निम्न सम्मिलित होंगे :

(अ) कार्य के मूल प्रावधान के अनुसार किया गया व्यय अथवा वह जिसे व्यय किया जाना प्रक्षेपित किया गया है, जिसमें निर्माणाधीन अवधि के दौरान ब्याज तथा वित्तीय प्रबन्धन प्रभार, निर्माणाधीन अवधि के दौरान ऋण पर विदेश विनिमय दर परिवर्तन के कारण कोई लाभ अथवा हानि, जो परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तक, जैसा कि आयोग द्वारा स्वीकार किया गया है, निम्नानुसार होगा – (i) लगाई गई 70 प्रतिशत निधि के बराबर, ऐसे प्रकरणों में जहां वास्तविक पूंजी, लगाई गई निधि से 30% अधिक हो, आधिक्य पूंजी को मानदण्डीय ऋण माना जाएगा, अथवा (ii) लगाई गई निधि के 30% से कम लगाई गई निधि के प्रकरण में, ऋण की वास्तविक राशि के बराबर जैसा कि आयोग द्वारा युक्तियुक्त जांच–पड़ताल के उपरान्त इसे स्वीकार किया गया हो, टैरिफ अवधारण का आधार बनेगा ।

(ब) प्रारंभिक कल–पुर्जों की पूंजीकृत राशि निम्न शीर्षस्थ मानदण्डों के अध्यधीन होगी :

(i) पारेषण तन्तुपथ (Transmission Line) – मूल परियोजना लागत का 0.75 प्रतिशत

(ii) पारेषण उपकेन्द्र (Transmission Substation)– मूल परियोजना लागत का 2.5 प्रतिशत

(iii) श्रृंखलाबद्ध क्षतिपूर्ति उपकरण (Series Compensation devices)–मूल परियोजना लागत का 3.5%

(स) विनियम 18 के अन्तर्गत अवधारित किया गया अतिरिक्त पूंजीगत व्यय :

परन्तु परिसम्पत्तियां जो परियोजना का भाग बनती हैं, परन्तु उपयोग में न हों, उन्हें पूंजीगत लागत से पृथक रखा जाएगा ।

17.2 आयोग द्वारा युक्तियुक्त जांच–पड़ताल उपरान्त स्वीकृत की गई पूंजीगत लागत विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण का आधार बनेगी :

परन्तु आयोग द्वारा किसी वैयक्तिक पारेषण परियोजना के प्रकरण में, पूंजीगत लागत की युक्तियुक्त जांच केन्द्रीय आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किये गये मार्गदर्शी मानदण्डों पर आधारित की जा सकेगी :

परन्तु यह भी कि जहां केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट मार्गदर्शी मानदण्डों का अनुप्रयोग नहीं किया जाता हो, युक्तियुक्त जांच–पड़ताल में पूंजीगत व्यय,

वित्त–प्रबंधन योजना, निर्माणाधीन अवधि के दौरान ब्याज, दक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग, आधिक्य लागत तथा अन्य ऐसे विषय जैसे कि ये आयोग द्वारा टैरिफ के अवधारण हेतु समुचित समझे जाएं :

परन्तु यह भी कि जहां पारेषण सेवा अनुबंध वास्तविक व्यय की कोई उच्चतम सीमा का प्रावधान करता हो, वहां आयोग द्वारा टैरिफ के अवधारण बाबत् अनुज्ञेय पूंजीगत व्यय के अंतर्गत ऐसी उच्चतम सीमा पर विचार किया जाएगा :

परन्तु यह भी कि विद्यमान परियोजनाओं के प्रकरण में, आयोग द्वारा दिनांक 1.4.2013 से पूर्व स्वीकार की गई पूंजीगत लागत तथा टैरिफ अवधि 2013–16 के तत्संबंधी वर्ष हेतु प्रक्षेपित किया गया अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, जैसा कि इसे आयोग द्वारा स्वीकार किया जाए, टैरिफ के अवधारण का आधार बनेगा ।

17.3 आयोग द्वारा लागत अनुमानों का सूक्ष्म परीक्षण पूंजीगत लागत, वित्त प्रबंध योजना, निर्माण अवधि के दौरान ब्याज राशि, प्रौद्योगिकी के दक्ष प्रयोग तथा इसी प्रकार की अन्य मदों के संबंध में इनके युक्तियुक्त होने के संबंध में किया जाएगा। आयोग इस संबंध में, जैसा कि वह उचित समझे, विशेषज्ञ परामर्श भी प्राप्त कर सकेगा ।

17.4 पूंजी (इक्विटी) एवं ऋण के आनुपातिक अंशदान के संबंध में पूंजीगत लागत की पुनर्संरचना को टैरिफ अवधि के दौरान अनुज्ञेय किया जा सकेगा, यदि ऐसा टैरिफ को विपरीतात्मक प्रभावित न करे । इस प्रकार की गई किसी पुनर्संरचना द्वारा प्राप्त कतिपय लाभ को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के दीर्घ–अवधि राज्यान्तरिक खुली पहुंच क्रेताओं को ऐसे अनुपात में, जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अन्तरित किया जाएगा ।

18. अतिरिक्त पूंजीकरण (Additional Capitalization) :

18.1 कार्य के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत, निम्न दर्शाये कारणों के अंतर्गत वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के उपरान्त किया गया पूंजीगत व्यय, अथवा जिसे व्यय किया जाना प्रक्षेपित किया गया हो, को आयोग द्वारा युक्तियुक्त जांच–पड़ताल के अध्यधीन स्वीकार किया जा सकेगा :

(ए) अ–निष्पादित दायित्व (undischarged Liabilies),

(बी) वे कार्य जिन्हें निष्पादन हेतु स्थगित रखा गया हो,

(सी) माध्यस्थम प्रकरण में पारित अधिनिर्णय के परिपालन में अथवा किसी आदेश के परिपालन में अथवा न्यायालय द्वारा आदेशित डिक्री के परिपालन में दायित्व,

(डी) कानून में किसी परिवर्तन के कारण, तथा

(ई) कार्य के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत विनियम 17.1(ब) के उपबंधों के अध्यधीन प्रारंभिक कलपुर्जो की अधिप्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) हेतु,

परन्तु कार्य के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये कार्यों के विवरण, व्यय के प्राक्कलनों, अ–निष्पादित दायित्व तथा निष्पादन हेतु स्थगित रखे गये कार्यों की सूची टैरिफ आवेदन के साथ प्रस्तुत करने होंगे ।

18.2 पृथक्कृत तिथि (Cut off date) के उपरान्त किया गया निम्न प्रकार का पूंजीगत व्यय, आयोग द्वारा युक्तियुक्त जांच–पड़ताल के अध्यधीन, आयोग के स्वविवेक अनुसार अनुज्ञेय किया जा सकेगा :

(अ) माध्यस्थम प्रकरण में पारित अधिनिर्णय के परिपालन में अथवा किसी आदेश के परिपालन में अथवा न्यायालय द्वारा आदेशित डिक्री के परिपालन में दायित्वों के निर्वहन हेतु;

(ब) कानून में किसी परिवर्तन के कारण**;** तथा

(स) रिले, नियंत्रण तथा उपकरणों, कम्प्यूटर प्रणाली, विद्युत तन्तुपथ संवाहक संसूचना डीसी बैटरियां, दोष में वृद्धि के कारण स्विचयार्ड उपकरण को बदला जाना, आकस्मिक पुनर्स्थापना प्रणाली, विसंवहनों (Insulators) की सफाई हेतु अधोसंरचना, क्षतिग्रस्त उपकरणों की पुनर्स्थापना जो बीमा के अन्तर्गत न आता हो, जैसी मदों पर किया गया अतिरिक्त व्यय तथा अन्य कोई व्यय जिसे पारेषण प्रणाली के सफल तथा दक्ष प्रचालन हेतु किया जाना अत्यावश्यक हो गया हो ।

19. नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण (Renovation and Modernisation - R&M):

19.1 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पारेषण प्रणाली के उपयोगी जीवनकाल के विस्तार के प्रयोजन हेतु नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण पर होने वाले व्यय की आपूर्ति के प्रयोजन से, आयोग के समक्ष एक आवेदन प्रस्ताव के अनुमोदनार्थ, एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा जिसमें उसका सम्पूर्ण उद्देश्य, औचित्य, लागत–लाभ विश्लेषण किसी संदर्भ तिथि से जीवनकाल की अनुमानित वृद्धि, वित्तीय समुच्चय (Financial Package), व्यय का प्रक्रम, कार्य पूर्ण करने संबंधी कार्यक्रम, संदर्भ मूल्य स्तर, कार्य पूर्ण करने संबंधी अनुमानित लागत मय विदेशी विनिमय घटक के, यदि कोई हो, हितग्राहियों का सहमति–पत्र तथा अन्य कोई जानकारी जिसे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रासंगिक माना जाए, संलग्न किया जाएगा ।

19.2 जहां पारेषण अनुज्ञप्तिधारी नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण के अनुमोदन हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, ऐसे प्रकरण में प्रस्ताव का अनुमोदन लागत–प्राक्कलनों के युक्तियुक्त होने, वित्तीय प्रबंधन योजना, कार्यपूर्ण करने संबंधी कार्यक्रम, निर्माण कार्य के दौरान ब्याज, दक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग, लागत–लाभ विश्लेषण, तथा ऐसे अन्य कारक जो आयोग द्वारा प्रासंगिक समझे जाएंगे, पर यथोचित विचारोपरान्त किया जाएगा ।

19.3 टैरिफ के अवधारण का आधार, किया गया कोई व्यय अथवा किये जाने वाला कोई प्रक्षेपित (projected) व्यय, जैसा कि इसे आयोग द्वारा, नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण संबंधी व्यय तथा जीवन काल के विस्तार संबंधी प्राक्कलनों की युक्तियुक्त जांच–पड़ताल पश्चात् तथा प्रतिस्थापित की गई परिसम्पत्तियों की मूल राशि के अपलेखन पश्चात तथा मूल परियोजना लागत से संचित अवमूल्यन परन्तु अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम को सम्मिलित करते हुए, को घटाकर स्वीकार किया गया हो, होगा।

20. ऋण–पूंजी अनुपात (Debt-Equity Ratio) :

20.1 किसी परियोजना हेतु जिसे दिनांक 1.4.2013 अथवा इसके उपरान्त वाणिज्यिक प्रचालन हेतु घोषित किया गया हो, यदि वास्तविक रूप से लगाई गई पूंजी, पूंजीगत लागत से 30 प्रतिशत अधिक हो तो 30 प्रतिशत से अधिक पूंजी को मानदण्डीय ऋण माना जाएगा :

परन्तु जहां वास्तविक रूप से लगाई गई पूंजी पूंजीगत लागत से 30 प्रतिशत कम हो, वहां ऐसे प्रकरण में टैरिफ अवधारण हेतु वास्तविक रूप से लगाई गई पूंजी को ही मान्य किया जाएगा :

परन्तु यह भी कि विदेशी मुद्रा में निवेशित की गई पूंजी को प्रत्येक निवेश की तिथि को भारतीय रूपयों में नामोदिष्ट (Designated) किया जाएगा ।

व्याख्या : पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परियोजना के वित्तीय पोषण हेतु उसकी मुक्त संचिति (Free reserve) में से सृजित आन्तरिक स्त्रोतों की अंशपूजी तथा पूंजी निवेश जारी करते समय अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि, यदि कोई हो, को पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना हेतु चुकाई गई पूंजी के रूप में गणना की जाएगी । इस प्रतिबंध के अंतर्गत कि ऐसी अधिमूल्य राशि तथा आन्तरिक स्त्रोतों को पारेषण प्रणाली को पूंजीगत व्यय की आपूर्ति हेतु वास्तविक उपयोग में लाया जाएगा ।

20.2 ऐसे प्रकरण में जहां पारेषण प्रणाली को दिनांक 1.4.2013 से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किया गया हो, आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2013 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्तर्गत टैरिफ के अवधारण हेतु अनुज्ञेय किया गया ऋण–पूंजी (इक्विटी) अनुपात मान्य किया जाएगा ।

20.3 ऐसा कोई व्यय जो दिनांक 1.4.2013 को अथवा उसके उपरांत किया गया अथवा किया जाना प्रक्षेपित किया गया हो, जैसा कि आयोग द्वारा इसे अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के रूप में टैरिफ के अवधारण हेतु स्वीकार किया गया हो एवं जीवनकाल की वृद्धि हेतु नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण व्यय को विनियम 20.1 में विनिर्दिष्ट विधि के अनुसार सेवाकृत किया जाएगा।

21. पारेषण टैरिफ (Transmission Tariff)

21.1 राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली के अन्तर्गत विद्युत के पारेषण में वार्षिक स्थाई लागत की वसूली हेतु पारेषण प्रभार में विनियम 22 में निर्दिष्टानुसार तत्व सम्मिलित होंगे ।

22. वार्षिक स्थाई लागत (Annual Fixed Cost)

22.1 किसी पारेषण प्रणाली हेतु वार्षिक स्थाई लागत में निम्न तत्व सम्मिलित होंगे :

(ए) पूंजी पर प्रतिलाभ;

(बी) ऋण पूंजी पर ब्याज तथा वित्त प्रभार;

(सी) अवमूल्यन;

(डी) पट्टा/भाड़ा क्रय प्रभार;

(ई) कार्यकारी पूंजी पर ब्याज; तथा

(एफ) प्रचालन तथा संधारण व्यय ।

23. पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity) :

23.1 पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना चुकाई गई पूंजी पर रूपयों के रूप में विनियम 20 के अन्तर्गत अवधारित किये गये अनुसार की जाएगी ।

23.2 पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना पूर्व–टैक्स आधार पर 15.5 प्रतिशत की आधार दर पर की जाएगी, जिसे इस विनियम की कण्डिका 23.3 के अनुसार सकलबद्ध (Gross-up) किया जाएगाः

परन्तु ऐसी परियोजनाओं के प्रकरणों में, जिन्हें 1 अप्रैल, 2013 को अथवा उसके उपरान्त क्रियाशील (commissioned) किया जाता है, उन पर 0.5 प्रतिशत का अतिरिक्त

प्रतिलाभ अनुज्ञेय किया जावेगा यदि ये परियोजनाएं **परिशिष्ट–1** में दर्शाई गई समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कर जाती हैं :

परन्तु यह भी कि 0.5 प्रतिशत का यह अतिरिक्त प्रतिलाभ अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा यदि परियोजना उपरोक्त दर्शाई गई समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण नहीं की जाती, भले ही इसका कोई भी कारण क्यों न हो।

23.3 वर्ष 2012–13 हेतु पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को प्रयोज्य सामान्य कर दर की आधार दर को सकलीकृत करते हुए की जाएगी :

परन्तु पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को प्रयोज्य वास्तविक कर दर के संबंध में पूंजी पर प्रतिलाभ, जो टैरिफ अवधि के दौरान तत्संबंधी वर्ष के सुसंगत वित्त अधिनियमों के उपबंधों से संरेखित हो, का सत्यापन प्रत्येक वर्ष हेतु आगामी टैरिफ अवधि की टैरिफ याचिका के साथ पृथक से किया जाएगा।

23.4 पूंजी पर प्रतिलाभ की दर की गणना को तीन दशमलव बिन्दुओं तक पूर्णांक किया जाएगा तथा इसकी गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

$$\text{पूंजी पर पूर्व–कर प्रतिलाभ की दर (Rate of Pre-Tax Return on Equity)} = \frac{\text{आधार दर}}{(1 - t)}$$

जहां पर 't' इस विनियम की कण्डिका 23.3 के अनुसार प्रयोज्य कर–दर है ।

उदाहरण (Illustration) :

(i) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के प्रकरण में, जो न्यूनतम वैकल्पिक कर (Minimum Alternate Tax - MAT) का भुगतान 20.1 प्रतिशत की दर से अधिभार तथा उपकर (Surcharge and Cess) को सम्मिलित करते हुए, कर रहा हो :

$$\text{पूंजी पर प्रतिलाभ की दर} = \frac{15.50}{(1 - 0.201)} = 19.38\%$$

(ii) ऐसे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के प्रकरण में, जो सामान्य निकाय कर (normal corprate tax) का भुगतान माने गये 33.99 प्रतिशत की दर से, अधिभार तथा उपकर को शामिल करते हुए कर रहा हो :

$$\text{पूंजी पर प्रतिलाभ की दर} = \frac{15.50}{(1 - 0.3399)} = 23.481\%$$

24. ब्याज एवं ऋण पूंजी पर वित्तीय प्रभार (Interest & Finance Charges on Loan Capital) :

24.1 विनियम 20 में दर्शाई गई विधि अनुसार प्राप्त किये गये ऋण, ऋण पर ब्याज की सकल मानदण्डीय ऋण की गणना किये गये माने जाएंगे ।

24.2 दिनांक 1.4.2013 की स्थिति में बकाया मानदण्डीय ऋणों की गणना आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2013 तक सकल मानदण्डीय ऋण में से संचिति (Cumulative) अदायगी को घटाकर की जायेगी ।

24.3 टैरिफ अवधि 2013–16 के प्रत्येक वर्ष हेतु अदायगी को उक्त वर्ष हेतु अनुज्ञेय किये गये अवमूल्यन के बराबर माना जाएगा ।

24.4 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भले ही कोई भी विलम्बकाल अवधि (Moratorium period) का लाभ लिया गया हो, ऋण की अदायगी को परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से ही माना जाएगा तथा यह वार्षिक अनुज्ञेय किये गये अवमूल्यन के समतुल्य होगा ।

24.5 ब्याज की दर, ब्याज की भारित औसत दर के बराबर होगी, जिसकी गणना परियोजना हेतु प्रयोज्य प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में वास्तविक ऋण की श्रेणी (Portfolio) के आधार पर की जाएगी ।

परन्तु यदि किसी विशिष्ट वर्ष में कोई वास्तविक ऋण न हो परन्तु मानदण्डीय ऋण अभी भी बकाया हो तो ऐसी दशा में अन्तिम उपलब्ध भारित औसत ब्याज दर ही मानी जाएगी ।

परन्तु यदि पारेषण प्रणाली में वास्तविक ऋण लंबित न हो तो ऐसी दशा में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की समग्र रूप से भारित औसत ब्याज दर मानी जाएगी ।

24.6 ऋण पर ब्याज की गणना वर्ष के मानकीकृत औसत ऋण पर भारित औसत ब्याज दर की प्रयुक्ति द्वारा की जाएगी ।

24.7 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ऋण की पुर्नवित्त व्यवस्था (Refinance) हेतु समस्त प्रयास करेगा जब तक यह ब्याज पर सकल लाभ में परिणत हों तथा ऐसी दशा में ऐसी पुर्नवित्त व्यवस्था हेतु संबद्ध लागतों को हितग्राहियों द्वारा वहन किया जाएगा तथा इस प्रकार की गई सकल बचत को हितग्राहियों द्वारा तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के मध्य 2 : 1 के अनुपात में वितरित किया जाएगा ।

24.8 ऋणों की निबंधन तथा शर्तों में किये गये परिवर्तनों को इस प्रकार की गई पुर्नवित्त व्यवस्था की तिथि से दर्शाया जाएगा ।

24.9 किसी विवाद की दशा में, कोई भी पक्षकार मप्रविनिआ (कार्य संचालन) विनियम, 2004, यथासंशोधित के अनुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा :

परन्तु पारेषण क्रेताओं द्वारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किये गये ब्याज के कारण किसी प्रकार के भुगतान को ऋण की पुनर्वित्त व्यवस्था से उद्‌भूत किसी विवाद के प्रतितोषण की प्रत्याशा में रोका न जाएगा ।

25. अवमूल्यन/अवक्षयण (Depreciation) :

25.1 टैरिफ के प्रयोजन हेतु, अवमूल्यन की गणना निम्न विधि द्वारा की जाएगी :

(ए) अवमूल्यन के प्रयोजन हेतु आधार मूल्य परिसम्पत्तियों की पूंजीगत लागत होगी जैसा कि आयोग द्वारा इसे अनुज्ञेय किया जाए ।

(ब) अनुमोदित/स्वीकृत लागत में विदेशी मुद्रा का निधीयन (फंडिंग) सम्मिलित किया जाएगा जिसे वास्तविक तिथि को प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा पर प्रचलित विनिमय दर पर समतुल्य रूपयों में परिवर्तित किया जाएगा ।

(स) परिसम्पत्ति का उपादेय मूल्य (Salvage Value) 10 प्रतिशत माना जाएगा तथा अवमूल्यन को परिसम्पत्ति की पूंजीगत लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक अनुज्ञेय किया जाएगा ।

(डी) पट्‌टे पर ली गई भूमि के अतिरिक्त किसी भी भूमि को अवमूल्यन योग्य परिसम्पत्ति नहीं माना जाएगा तथा परिसम्पत्ति के अवमूल्यन–योग्य मूल्य की गणना करते समय इसकी लागत को पूंजीगत लागत में से कम कर दिया जाएगा ।

(ई) अवमूल्यन की गणना प्रतिवर्ष सरल रेखा विधि (Straight Line method) के आधार पर तथा पारेषण प्रणाली की परिसम्पत्तियों हेतु **परिशिष्ट–2** में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार की जाएगी।

परन्तु वर्ष के 31 मार्च की स्थिति में अवशेष अवमूल्यन–योग्य मूल्य को वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के 12 वर्षों की अवधि के उपरान्त परिसम्पत्तियों के अवशेष उपयोगी जीवन काल के अन्तर्गत प्रसारित कर दिया जाएगा ।

परन्तु यह भी कि परिसम्पत्ति के सृजन हेतु उपभोक्ता का अंशदान अथवा पूंजीगत सहायतानुदान/अनुदान आदि को लेखांकन नियम, जो समय–समय पर अधिसूचित कर लागू किये जाएंगे, के अनुसार संव्यवहारित किया जाएगा।

(एफ) विद्यमान परियोजनाओं के प्रकरणों में, दिनांक 1.4.2013 की स्थिति में अवशेष अवमूल्यन मूल्य की गणना आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2013 तक स्वीकार की गई परिसम्पत्तियों के सकल अवमूल्यन योग्य मूल्य में अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम राशि को सम्मिलित कर, में से संचयी अवमूल्यन को घटाकर की जाएगी । अवमूल्यन दर को परिशिष्ट–2 में विनिर्दिष्ट दर पर प्रभारित किया जाना जारी रखा जाएगा जब तक संचयी अवमूल्यन 70 प्रतिशत तक पहुंच नहीं जाता। तत्पश्चात्, अवशेष अवमूल्यन योग्य मूल्य को परिसम्पत्ति के अवशेष जीवनकाल के अंतर्गत प्रसारित कर दिया जाएगा ताकि अधिकतम अवमूल्यन की 90 प्रतिशत से अधिक बढ़ोत्तरी न हो।

(जी) अवमूल्यन वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से प्रभारणीय होगा । परिसम्पत्ति के वाणिज्यिक प्रचालन वर्ष के किसी अंश हेतु अवमूल्यन को *आनुपातिक दर (Prorata)* पर प्रभारित किया जाएगा ।

26. पट्टा/भाड़ा क्रय प्रभार (Lease/Hire Purchase Charges) :

26.1 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पटटे् (लीज) पर ली गई परिसम्पत्तियों पर पटट्ा प्रभारों पर पटट्ा संबंधी अनुबंध अनुसार विचार किया जाएगा बशर्ते आयोग द्वारा इन प्रभारों को युक्तियुक्त माना जाए।

27. प्रचालन एवं संधारण व्यय (Operation & Maintenance Expenses) :

27.1 टैरिफ अवधि हेतु प्रचालन तथा संधारण व्यय का अवधारण आयोग द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मानकीकृत प्रचालन एवं संधारण व्ययों के आधार पर किया जाएगा।

27.2 टैरिफ अवधि के प्रारंभ में, राज्य पारेषण इकाई द्वारा छटवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार, कर्मचारियों के वेतनमान के पुनरीक्षण के कारण, कर्मचारियों को देय बकाया राशि को छोड़कर, मानकीकृत प्रचालन तथा संधारण व्ययों में अभिवृद्धि, थोक विक्रय मूल्य सूचकांक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के भारित औसत पर 60 : 40 के अनुपात में विचार करते हुए 7.93 प्रतिशत दर पर की गई है।

27.3 मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीटीसीएल) से एकत्रित किये गये विवरण का परीक्षण किये जाने पर यह पाया गया कि पिछली नियंत्रण अवधि के दौरान मानदण्डीय व्ययों की गणना के संबंध में पारेषण तंत्र के मानकों (parametres), जिन पर विचार किया जा रहा है तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु वास्तविक व्यय तथा एमपीपीटीसीएल द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अनुमानित किये गये व्यय (वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अंकेक्षित तुलन–पत्र के उपलब्ध न होने के कारण) जो कर्मचारी व्ययों, मरम्मत तथा अनुरक्षण एवं प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों से संबद्ध हैं, मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण व्यय, एमपीपीटीसीएल द्वारा उपगत व्ययों से अधिक थे। वास्तविक प्रचालन एवं संधारण व्यय मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण व्ययों का 89.6 प्रतिशत थे। आयोग ने वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु वास्तविक व्ययों को आधार आंकड़े माना है,इन्हें मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण व्ययों की गणना हेतु उपयोग किये गये मानकों से संबद्ध किया है, इन्हें वित्तीय वर्ष 2012–13 (पिछली नियंत्रण अवधि) तक 6.14 प्रतिशत के वार्षिक वृद्धि कारक (escalation factor) तथा तत्पश्चात इन्हें 7.93 प्रतिशत से गुणा किया है जिसके अनुसार वर्तमान नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण मानदण्ड प्राप्त किये गये हैं।

27.4 आयोग द्वारा मप्रविनिआ (मण्डल तथा उत्तराधिकारी इकाईयों के कार्मिकों को पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधा दायित्वों की स्वीकृति हेतु निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2012(जी–38, वर्ष 2012) 20 अप्रैल, 2012 को अधिसूचित किये गये हैं। पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधाओं के संबंध में व्यय उपरोक्त विनियमों के उपबंधों के अनुसार स्वीकार किये जाएंगे।

27.5 युद्ध, विद्रोह अथवा कानून में कतिपय परिवर्तनों अथवा ऐसी समतुल्य परिस्थितियों के कारण संचालन तथा संधारण व्यय में अभिवृद्धि के संबंध में, जहां आयोग का यह अभिमत हो कि उक्त वृद्धि न्यायोचित है, पर आयोग इसे विनिर्दिष्ट अवधि हेतु लागू करने पर विचार कर सकेगा ।

27.6 किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी वर्ष में अर्जित कतिपय बचत को उसे स्वयं के पास रोके जाने की अनुमति दी जा सकेगी। किसी वर्ष में लक्ष्य संचालन व संधारण व्ययों से आधिक्य के कारण होने वाली हानि को अनुज्ञप्तिधारी को वहन करना होगा ।

28. कार्यकारी पूंजी पर देय ब्याज प्रभार (Interest Charges on Working Capital) :

28.1 कार्यकारी पूंजी पर ब्याज दर जिसकी गणना विनियमों में आगे दर्शाई गई विधि के अनुसार की जाना है, मानकीकृत आधार पर की जाएगी तथा इसकी गणना भारतीय स्टेट बैंक की सुसंगत वर्ष की 1 अप्रैल को लागू आधार दर में 3.5 प्रतिशत जोड़कर समतुल्य दर पर की जाएगी। कार्यकारी पूंजी पर ब्याज मानकीकृत आधार पर देय होगा, भले ही अनुज्ञप्तिधारी ने किसी बाहरी संस्था से ऋण लिया हो अथवा कार्यकारी पूंजीगत ऋण मानकीकृत आंकड़ों के आधार से अधिक हो गया हो।

29. विदेश विनिमय दर परिवर्तन (Foreign Exchange Rate Variation - FERV) :

29.1 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी विदेश विनिमय की अनावृत्ति (exposure) को पारेषण प्रणाली हेतु विदेशी मुद्रा में प्राप्त किये गये ऋण पर ब्याज तथा विदेशी ऋण के पुनर्भुगतान के संबंध में बचाव (hedge) एक अंश में अथवा पूर्ण रूप से, जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की स्वेच्छानुसार होगा, कर सकेगा ।

29.2 प्रत्येक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, मानदण्डीय विदेशी ऋण से तत्संबंधी विदेश विनिमय दर परिवर्तन से बचाव की लागत की वसूली, सुसंगत वर्ष में, वर्ष–दर–वर्ष आधार पर, उक्त अवधि के दौरान जब कि वह व्यय के रूप में, उद्भूत होता है, करेगा तथा इस प्रकार के विदेश विनिमय दर परिवर्तन से तत्संबंधी अतिरिक्त रूपयों के भुगतान के दायित्व को, बचाव (hedged) किये गये विदेशी ऋण के विरूद्व अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा।

29.3 उक्त सीमा, जहां तक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी विदेश विनिमय अनावृत्ति (exposure) का समायोजन करने में असमर्थ हो, अतिरिक्त रूपयों में भुगतान के दायित्व हेतु ब्याज का भुगतान तथा ऋण की अदायगी, जो मानदण्डीय विदेशी मुद्रा ऋण से सुसंगत वर्ष से तत्संबंधी है, को अनुज्ञेय किया जाएगा बशर्ते यह पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अथवा उसके प्रदायकर्ताओं अथवा ठेकेदारों के कारण न हो ।

29.4 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी बचाव (hedging) की लागत तथा विदेश विनिमय दर परिवर्तन को आय के रूप में उक्त अवधि के दौरान, जब वह उद्‌भूत हो, वर्ष–दर–वर्ष आधार पर वसूल करेगा।

30. आय पर कर (Tax on Income):

30.1 दीर्घ–अवधि क्रेताओं से पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के आय–प्रवाहों पर कर की वसूली नहीं की जाएगी :

परन्तु 31 मार्च, 2013 तक की अवधि के विलम्बित कर दायित्वों, अतिरिक्त लाभों (Fringe Benefits) को छोड़कर, के क्रियान्वित होने पर ये दीर्घ–अवधि क्रेताओं से प्रत्यक्ष रूप से वसूली योग्य होंगे ।

31. टैरिफ आय (Tariff Income) :

31.1 आयोग द्वारा विद्युत पारेषण हेतु अवधारित समस्त प्रभारों से प्राप्त आय को टैरिफ आय माना जाएगा। टैरिफ आय में पारेषण प्रभार, प्रतिक्रिया ऊर्जा प्रभार (Reactive Energy Charge) एवं अन्य प्रभार जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएंगे, सम्मिलित होंगे ।

32. गैर–टैरिफ आय (Non Tariff Income) :

32.1 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये उत्पादन कंपनियों तथा अनुज्ञप्तिधारियों को दिये जाने वाला विवरण और इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004, समय–समय पर यथासंशोधित के अन्तर्गत अन्य आय संबंधी अनुसूची, जैसा कि इसका प्रावधान विविध प्रभारों तथा सामान्य प्रभारों की अनुसूची में किया गया है, को 'गैर–टैरिफ आय' के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। गैर–टैरिफ आय में पूंजी निवेश, सावधि जमा राशि तथा अन्य जमा राशियों एवं अन्य कोई गैर–टैरिफ आय शामिल की जाएगी।

32.2 अन्य व्यवसाय से प्राप्त राजस्व को, अधिनियम की धारा 41 में विनिर्दिष्ट उक्त सीमा तक, जिसे आयोग द्वारा प्राधिकृत किया जाए, को आय माना जाएगा ।

33. विलंब भुगतान अधिभार (Late Payment Surcharge):

33.1 ऐसे प्रकरणों में, जहां पारेषण तथा अन्य प्रभारों से संबंधित देयकों के भुगतान में, देयकों की प्रस्तुति तिथि से 60 दिवस से अधिक अवधि का विलंब किया जाता है, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी प्रति दिवस विलंब हेतु 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से विलंब भुगतान अधिभार अधिरोपित कर सकेगा ।

34. छूट (Rebate) :

34.1 पारेषण प्रभारों के देयकों का भुगतान साख पत्र (लैटर ऑफ क्रेडिट) द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर, 2 प्रतिशत की छूट अनुज्ञेय होगी । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देयक का भुगतान किसी अन्य विधि द्वारा, परन्तु देयक प्रस्तुति के एक माह के भीतर किये जाने पर, उसे 1 प्रतिशत की छूट अनुज्ञेय होगी ।

35. व्यवसाय योजना तथा पूंजी निवेश (Business Plan and Capital Investment) :

35.1 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा निम्न बाबत जारी निर्देशों के अनुरूप विस्तृत पूंजी निवेश योजना, वित्त प्रबंध योजना तथा भौतिक लक्ष्यों के संबंध में भार अभिवृद्धि, पारेषण हानियों में कमी, विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता में सुधार, विश्वसनीयता, मापयंत्रण (मीटरिंग) आदि, की अर्हताओं की आपूर्ति हेतु करेगा ।

35.2 प्रमुख योजना में पृथक से निर्माणाधीन परियोजनाएं, जिनका कार्य आगामी विचाराधीन वर्ष में भी जारी रहेगा तथा इसके साथ नवीन परियोजनाएं (औचित्य दर्शाते हुए) जो टैरिफ अवधि में प्रारंभ की जाएंगी तथा जो टैरिफ अवधि में अथवा उसके उपरांत पूर्ण की जा सकेंगी, दर्शाई जाएंगी । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हितग्राहियों से दीर्घ–अवधि के अनुबंधों का निष्पादन करेगा जिनके लिए प्रस्तावित मुख्य कार्य (योजनाएं) अन्तर्संयोजनों से ऊपरी तथा निचले क्षेत्रों में पूर्ण लाभ पहुंचाएगे । ऐसी विशिष्ट योजनाएं आयोग के अनुमोदनार्थ केवल हितग्राहियों से अनुबंधों के निष्पादन पश्चात ही प्रस्तुत की जाएंगी । यह सुविधा केवल ऐसे दीर्घ–अवधि हितग्राहियों तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को उपलब्ध कराई जाएगी जब वे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की पारेषण क्षमता के उपयोग हेतु दीर्घ–अवधि अनुबंधों का निष्पादन कर लेंगे।

35.3 आयोग अनुज्ञप्तिधारी की पूंजी निवेश योजना पर विचार कर उसे अनुमोदन प्रदान कर सकेगा जिस हेतु अनुज्ञप्तिधारी को सुसंगत तकनीकी एवं वाणिज्यिक विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । अनुज्ञप्तिधारी को टैरिफ आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व पूंजी निवेश योजना को आयोग से अनुमोदन कराना होगा ।

35.4 अनुमोदित पूंजी निवेश हेतु ऋण तथा पूंजी (इक्विटी) का अनुपात विनियम 20 के उपबंधों के अनुरूप होगा।

अध्याय – तीन
पारेषण प्रणालियां (Transmission Systems)

36. प्रचालन मानदण्ड :

36.1 **मानदण्डीय वार्षिक पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक (Normative Annual Transmission System Availability Factor-NATSAF)** : ये कारक सम्पूर्ण पारेषण प्रभारों की वसूली हेतु निम्नानुसार होगाः

एसी प्रणाली हेतु : टैरिफ अवधि हेतु 98.0 प्रतिशत

37. प्रचालन तथा संधारण व्यय [Operation & Maintenance (O & M) Expenses]

37.1 प्रचालन तथा संधारण व्ययों में कर्मियों पर व्यय, मरम्मत एवं संधारण (आर एण्ड एम) व्यय और प्रशासनिक तथा सामान्य (ए एण्ड जी) लागत शामिल होंगे । प्रचालन तथा संधारण व्ययों के मानदण्ड पारेषण लाईनों के सर्किट किलोमीटर तथा उपकेन्द्र पर 'बे' की संख्या के अनुसार निर्धारित किये गये हैं । इन मानदण्डों में पेंशन, कर्मियों को देय सेवान्त प्रसुविधाएं, कर्मचारियों को भुगतान योग्य प्रोत्साहन तथा बकाया राशि, शासन को देय कर तथा म.प्र. विद्युत नियामक आयोग को देय शुल्क शामिल नहीं हैं । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी शासन को देय करों की राशि तथा म.प्र. विद्युत नियामक आयोग को भुगतान किये जाने वाले शुल्क तथा कर्मचारियों को भुगतान की गई बकाया राशि का दावा वास्तविक आंकड़ों के आधार पर पृथक से करेगा । पेंशन तथा टर्मिनल प्रसुविधाओं का दावा विनियम 27.4 के अनुसार किया जाएगा। प्रचालन तथा संधारण मानदण्ड प्रति 100 सर्किट–किलोमीटर एवं प्रति 'बे' निम्नानुसार होंगेः

प्रचालन एवं संधारण व्ययों के मानदण्ड प्रति 100 सर्किट किलोमीटर एवं प्रति बे :

सरल क्रमांक	विवरण	2013–14	2014–15	2015–16
	तन्तुपथ (लाईनें)	**रूपये लाख /100 सर्किट किलोमीटर/वर्ष**		
1	400 केवी तन्तुपथ	33.6	36.2	39.1
2	220 केवी तन्तुपथ	27.0	29.2	31.5
3	132 केवी तन्तुपथ	25.4	27.4	29.6
	बे	**रूपये लाख / बे/ वर्ष**		
1	400 केवी बे	15.5	16.7	18.0
2	220 केवी बे	11.5	12.5	13.5
3	132 केवी बे	10.9	11.8	12.7

37.2 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हेतु कुल अनुज्ञेय प्रचालन तथा संधारण व्ययों की गणना 'बे' की संख्या तथा लाईन की 100 सर्किट किलोमीटर लंबाई क्रमशः संचालन एवं संधारण व्यय प्रति बे तथा प्रति 100 सर्किट–किलोमीटर के गुणनफल से प्राप्त द्वारा की जाएगी । अनुज्ञप्तिधारी, आयोग के समक्ष टैरिफ अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु, जैसा लागू हो, अनुज्ञेय–योग्य प्रचालन तथा संधारण व्ययों के समर्थन में, वास्तविक अथवा प्रक्षेपित (प्रोजेक्टेड) लाईनों की लंबाई के सर्किट किलोमीटरों का विवरण तथा प्रत्येक वोल्टेज स्तर हेतु 'बे' की संख्या पृथक–पृथक प्रस्तुत करेगा ।

37.3 सेवान्त प्रसुविधाओं का भुगतान पृथक से विनियम 27.4 में किये गये प्रावधान अनुसार किया जाएगा।

38. कार्यकारी पूंजी (Working Capital) :

38.1 टैरिफ अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु, कार्यकारी पूंजी में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

(1) संधारण कलपुर्जों (स्पेअर्स) पर, प्रचालन एवं संधारण व्ययों के 15 प्रतिशत की दर से जैसा कि विनियम 37.1 में निर्दिष्ट किया गया है;

(2) लक्ष्य उपलब्धि स्तर (Target Availability Level) के आधार पर की गई गणनानुसार पारेषण प्रभारों के दो माह के बराबर प्राप्ति योग्य सामग्रियों की लागत; तथा

(3) प्रचालन एवं संधारण व्यय, एक माह हेतु ।

39. वार्षिक पारेषण प्रभार (Annual Transmission Charges - TSC) :

39.1 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के कुल वार्षिक व्ययों तथा पूंजी (इक्विटी) पर प्रत्याशित प्रतिलाभ की गणना विनियम 17 से 30 सहपठित विनियम 36 से 38 के अनुसार अनुज्ञेय व्ययों एवं प्रतिलाभ के आधार पर की जाएगी ।

39.2 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उसके वार्षिक पारेषण प्रभारों (Annual Transmission Charges - TSC) की वसूली हितग्राहियों से विनियम 40 तथा 41 द्वारा विनिर्दिष्ट की गई विधि के अनुसार किये जाने बाबत प्राधिकृत होगा ।

40. स्थाई प्रभारों की वसूली (Recovery of Fixed Charges) :

40.1 पारेषण प्रणाली की स्थाई लागत की गणना वार्षिक आधार पर इन विनियमों में अन्तर्विष्ट मानदण्डों के अनुसार, इन्हें समुचित रूप से जोड़कर की जाएगी तथा प्रयोक्ताओं से इसकी

वसूली मासिक आधार पर की जाएगी जिनके मध्य विनियम में विनिर्दिष्ट विधि के अनुसार, इन प्रभारों का परस्पर बंटवारा किया जाएगा।

40.2 किसी पारेषण प्रणाली के प्रकरण में, किसी कलेण्डर माह हेतु देय पारेषण प्रभार (प्रोत्साहन को सम्मिलित कर) की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

(AFC X NDM/NDY) x (TAFM/NATSAF) (रूपये में)

जहां

AFC – वर्ष हेतु विनिर्दिष्ट वार्षिक स्थाई लागत (रूपये में),

TAFM – एक माह हेतु पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक, % (प्रतिशत) में, जिसकी गणना परिशिष्ट–3 के अनुसार की जाएगी,

NATSAF – मानदण्डीय वार्षिक पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक, प्रतिशत में, जैसा कि इसे कण्डिका 36.1 में विनिर्दिष्ट किया गया है,

NDM – एक माह में दिवस संख्या,

NDY – एक वर्ष में दिवस संख्या ।

परन्तु पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, पारेषण प्रभार (प्रोत्साहन को सम्मिलित करते हुए) के एक माह हेतु उसके पारेषण उपलब्धता कारक के प्राक्कलन पर आधारित देयक प्रस्तुत करेगा। इस संबंध में समायोजन यदि कोई हों तो वे एक माह हेतु पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक के आधार पर तैयार किये जाएंगे जिन्हें सुसंगत माह के अंतिम दिवस से 30 दिवस के अंदर राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

41. हितग्राहियों द्वारा पारेषण प्रभार (टीएससी) भुगतानों में हिस्सेदारी तथा तत्संबंधी भुगतान [Sharing and Payment of Transmission Charges (TSC) by Beneficiaries]:

41.1 यदि किसी पारेषण प्रणाली का सृजन किसी विशिष्ट दीर्घ–अवधि पारेषण हितग्राही हेतु, जिसमें किसी उत्पादक स्टेशन हेतु समर्पित पारेषण तन्तुपथ [(line (s)] भी सम्मिलित हैं, किया गया हो तो ऐसी पारेषण प्रणाली हेतु पारेषण प्रभारों का भुगतान, उक्त दीर्घ–अवधि पारेषण हितग्राही द्वारा किया जाएगा ।

41.2 किसी राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली हेतु, मासिक पारेषण प्रभारों को दीर्घ–अवधि पारेषण क्रेताओं द्वारा हिस्सेदारी हेतु निम्न सूत्र के अनुसार समुच्चय (Pooled) किया जाएगा :

किसी राज्यान्तरिक प्रणाली के अन्तर्गत एक माह हेतु उक्त पारेषण प्रणाली के लिये किसी दीर्घ–अवधि पारेषण क्रेता द्वारा भुगतान योग्य पारेषण प्रभार :

= (AFC x NDM/NDY) x CL/SCL

AFC = वर्ष हेतु विनिर्दिष्ट वार्षिक स्थाई लागत (रूपये में),

NDM = एक माह में दिवस संख्या,

NDY = एक वर्ष में दिवस संख्या,

CL = दीर्घ–अवधि पारेषण क्रेताओं को आवंटित पारेषण क्षमता,

SCL = राज्य पारेषण प्रणाली के समस्त दीर्घ–अवधि पारेषण क्रेताओं को आवंटित पारेषण क्षमताओं का योग।

41.3 राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली के मध्यम–अवधि प्रयोक्ताओं द्वारा उक्त मेगावाट के अनुपात में प्रभार का भुगतान किया जाएगा जिस हेतु, मध्यम–अवधि प्रयोग राज्य पारेषण इकाई द्वारा उक्त माह हेतु अनुमोदित किया गया हो।

41.4 लघु–अवधि हितग्राही प्रभारों का भुगतान मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच प्रणाली की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005, समय–समय पर यथासंशोधित के अनुसार कर सकेंगे ।

41.5 किसी संयंत्र क्षमता से संबद्ध पारेषण प्रभार, जिस हेतु हितग्राही को चिन्हित तथा संविदाकृत नहीं किया गया है, का भुगतान संबंधित उत्पादक कम्पनी द्वारा किया जाएगा ।

41.6 राष्ट्रीय विद्युत नीति का धारा 5.8.10 में पारेषण तथा वितरण हानियों को कम किये जाने वाले प्रयासों का प्रावधान किया गया है। मध्यप्रदेश सरकार ने विद्युत वितरण कम्पनियों के लिये वितरण हानि का प्रक्षेप–वक्र (trajectory) निर्दिष्ट किया है। आयोग द्वारा जारी वितरण विद्युत–दर संबंधी विनियमों में वितरण हानि स्तर का प्रक्षेप–वक्र निर्दिष्ट किया गया था। यद्यपि म.प्र. शासन ने पारेषण हानि के संबंध में प्रक्षेप–वक्र निर्दिष्ट नहीं किया है, आयोग एतद् द्वारा पूर्व वर्षों की वास्तविक पारेषण हानियों पर आधारित प्रक्षेप–वक्र निर्दिष्ट करता है ताकि मापदण्डों (benchmarking) तथा टैरिफ संबंधी विषयों पर संदर्भ उपलब्ध रहे।

नियंत्रण अवधि के लिये पारेषण हानि लक्ष्य को निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

लक्ष्यबद्ध पारेषण हानियां (प्रतिशत में)

वित्तीय वर्ष	2013–14	2014–15	2015–16
प्रतिशत	3.16%	2.97%	2.78%

अध्याय–चार
विविध

42. अनुमोदित स्वच्छ विकास कार्यविधि (Clean Development Mechanism - CDM) को कार्बन आकलन (Carbon Credit) से प्राप्तियों का परस्पर बंटवारा निम्न विधि द्वारा किया जाएगा, अर्थात् :

(अ) स्वच्छ विकास कार्यविधि के कारण सकल प्राप्तियों की 100 प्रतिशत राशि परियोजना के विकासकर्ता द्वारा पारेषण प्रणाली की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के प्रथम वर्ष में स्वयं के पास रखी जाएगी ।

(ब) द्वितीय वर्ष में, हितग्राहियों का अंशदान 10 प्रतिशत होगा, जिसमें उत्तरोत्तर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से अभिवृद्धि की जावेगी, जिसे 50 प्रतिशत तक पहुंचाने के उपरान्त, प्राप्तियों की पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा हितग्राहियों द्वारा समान अनुपात में बंटवारा किया जाएगा ।

43. मानदण्डों से विचलन :

43.1 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पारेषण प्रभारों हेतु टैरिफ का अवधारण इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों से विचलन किये जाने पर निम्न शर्तों के अध्यधीन अवधारित किया जा सकेगा :

(अ) परियोजना के उपयोगी जीवनकाल के अन्तर्गत, समतुल्य टैरिफ दर जिसकी गणना केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय–समय पर अधिसूचित छूट (discounting) कारक पर आधारित मानदण्डों से विचलन के आधार पर अधिनियम की धारा 63 के अन्तर्गत परियोजनाओं हेतु की गई हो, बशर्ते यह इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार की गई गणना से अधिक न हो ।

(ब) कोई भी विचलन आयोग के अनुमोदन पश्चात् ही प्रभावशील होगा जिस हेतु पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लागू टैरिफ के अवधारण हेतु टैरिफ याचिका वार्षिक राजस्व आवश्यकता दायर करने से पूर्व प्रस्तुत करनी होगी।

44. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति :

44.1 यदि इन विनियमों के किसी भी उपबन्ध को मूर्त रूप देने में कोई कठिनाई आती हो तो आयोग किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को ऐसा कार्य करने अथवा

उत्तरदायित्व संभालने हेतु निर्देशित कर सकता है जो आयोग के मत में कठिनाइयां दूर करने हेतु आवश्यक अथवा वांछनीय हैं ।

45. संशोधन हेतु शक्ति :

45.1 आयोग किसी भी समय इन विनियम के उपबन्धों में जोड़ने, बदलने, परिवर्तन करने, सुधारने अथवा संशोधन संबंधी प्रक्रिया कर सकेगा ।

46. निरसन तथा व्यावृत्ति :

46.1 विनियम नामतः ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 {आरजी–28(I), वर्ष 2009}'' क्रमांक 906/मप्रविनिआ/2009 दिनांक 30.4.2009 जो राजपत्र में अधिसूचना दिनांक 8.5.2009 द्वारा तथा संशोधनों के साथ सहपठित है जैसा कि यह विनियमों की विषयवस्तु के साथ प्रयोज्य है, को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

46.2 इस विनियमों की कोई भी बात आयोग को ऐसे किसी आदेश को पारित करने हेतु अन्तर्निहित शक्तियों को सीमित अथवा प्रभावित नहीं करेगी जो न्याय के उद्देश्य प्राप्त करने अथवा आयोग की प्रक्रिया के दुरूपयोग रोकने के उद्देश्य से आवश्यक हो ।

46.3 इन विनियमों में किया गया कोई भी उल्लेख आयोग को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूपता में मामलों में व्यवहार करने के लिये एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगा, जो यद्यपि इन विनियमों के प्रावधानों से भिन्न हो, लेकिन जिसे आयोग मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में और इसके कारणों को अभिलिखित करते हुए, आवश्यक या समीचीन समझता हो ।

46.4 इन विनियमों में किया गया कोई भी उल्लेख स्पष्टतया या परोक्ष रूप से आयोग को अधिनियम के आधीन किसी मामले में कार्यवाही करने से या शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा, जिसके लिये कोई संहिता निर्मित नहीं की गई हो और आयोग इस तरह के मामलों में ऐसी कार्यवाही कर सकता है और ऐसी शक्तियों का प्रयोग या कृत्य कर सकता है, जैसा कि आयोग उचित समझता है ।

आयोग के आदेशानुसार

पी.के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव

परिशिष्ट–1

परियोजना को पूर्ण किये जाने संबंधी निर्धारित समय–सीमा (विनियम–23)

1. परियोजना को पूर्ण किये जाने संबंधी समय–तालिका की गणना पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निविदा जारी किये जाने संबंधी तिथि से इकाईयों की अथवा खण्ड (ब्लाक) पारेषण परियोजना के तत्व की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तक जैसा कि वह लागू हो, की जाएगी।

2. निम्न पैरा तथा तालिकाओं में समय–सारणी, माह में दर्शाई गई है;

पारेषण कार्य	मैदानी क्षेत्र (माह में)	पहाड़ी क्षेत्र (माह में)
400 केवी डी/सी क्वाड (Quad) पारेषण तन्तुपथ	32	38
400 केवी डी/सी ट्रिपल (Triple) पारेषण तन्तुपथ	30	36
400 केवी डी/सी ट्विन (Twin) पारेषण तन्तुपथ	28	34
400 केवी एस/सी ट्विन (Twin) पारेषण तन्तुपथ	24	30
220 केवी डी/सी ट्विन (Twin) पारेषण तन्तुपथ	28	34
220 केवी डी/सी पारेषण तन्तुपथ	24	30
220 केवी एस/सी पारेषण तन्तुपथ	20	26
नवीन 220 केवी एसी उपकेन्द्र	18	21
नवीन 400 केवी एसी उपकेन्द्र	24	27
132 केवी पारेषण लाईन	16	22
नवीन 132 केवी एसी उपकेन्द्र	12	16

टीप :

(i) ऐसे प्रकरण में, जहां एक योजना उपरोक्त प्रकार की परियोजनाओं का संयोजन है, वह गतिविधि जिसकी अर्हकारी समय–सारणी अधिकतम समय–सीमा दर्शाती है, वह समय–सीमा योजना हेतु सम्पूर्ण समय–सीमा मानी जाएगी।

(ii) ऐसे प्रकरण में, जहां पारेषण लाईन मैदानी क्षेत्र के साथ–साथ पहाड़ी क्षेत्र/बहुत कठिन क्षेत्र में आती हो, संयुक्त अर्हकारी समय–सारणी की गणना, प्रत्येक क्षेत्र में आने वाले तन्तुपथ की लम्बाई को अनुपातिक रूप से भारित करते हुए, की जाएगी।

परिशिष्ट–2

अवमूल्यन अनुसूची

सरल क्रमांक	परिसंपत्ति की विशिष्टताएं	अवमूल्यन दर (उपादेय मूल्य = 10 %)
		सरल रेखा विधि
अ	पूर्ण स्वामित्व के अंतर्गत भूमि	**0.00%**
ब	पट्टे के अंतर्गत भूमि	
ंए	भूमि में निवेश हेतु	**3.34%**
बी	**स्थल की सफाई की लागत हेतु**	**3.34%**
स	नवीन क्रय की गई परिसंपत्तियां	
ंए	**निम्न हेतु भवन तथा सिविल अभियांत्रिकी कार्य**	
(i)	कार्यालय एवं शोरूम	**3.34%**
(ii)	अस्थाई संरचनाएं, जैसे कि काष्ठ संरचनाएं	**100.00%**
(iii)	कच्चे मार्गों को छोड़कर, अन्य मार्ग	**3.34%**
(iv)	अन्य	**3.34%**
बी	ट्रांसफार्मर, गुमटियां उपकेन्द्र उपकरण तथा अन्य स्थाई उपकरण (संयंत्र सम्मिलित कर)	
(i)	ट्रांसफार्मर, नींव को सम्मिलित करते हुए जिसका मूल्यांकन (रेटिंग) 100 केवीए तथा इससे अधिक है	**5.28%**
(ii)	अन्य	**5.28%**
सी	स्विचगिअर, केबल कनेक्शन सम्मिलित करते हुए	**5.28%**
डी	तड़ित चालक	
(i)	स्टेशन प्रकार का	**5.28%**
(ii)	खंभा प्रकार का	**5.28%**
ई	सिन्क्रोनस कन्डेंसर	**5.28%**
एफ	बैट्रियां	**5.28%**
(i)	भूमिगत केबल, जाईंट बॉक्स तथा डिसकनेक्टेड बॉक्स सम्मिलित कर	**5.28%**
(ii)	केबल डक्ट प्रणाली	**5.28%**
जी	फेब्रीकेटेड इस्पात पर शिरोपरि तन्तुपथ, जो 66 केवी तक तथा इससे अधिक टर्मिनल वोल्टेज पर प्रचालित किया गया है	**5.28%**
एच	**मापयंत्र (मीटर)**	**5.28%**
आई	स्वचालित वाहन	**9.50%**
जे	वातानुकूलन संयंत्र	

(i)	स्थिर	**5.28%**
(ii)	वहनीय	**9.50%**
के (i)	कार्यालय फर्नीचर तथा फर्निशिंग	**6.33%**
के (ii)	कार्यालय उपकरण	**6.33%**
के (iii)	आन्तरिक वायरिंग, फिटिंग तथा उपकरण सम्मिलित कर	**6.33%**
के (iv)	पथ–प्रकाश फिटिंग	**5.28%**
एल	भाड़े पर प्रदान किये गये उपकरण	
(i)	मोटरों को छोड़कर	**9.50%**
(ii)	मोटरें	**6.33%**
एम	संचार उपकरण	
(i)	रेडियो तथा उच्च संवाहक प्रणाली	**6.33%**
(ii)	दूरभाष लाईनें तथा दूरभाष	**6.33%**
एन	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण	**15.00%**
ओ	अन्य सम्पत्तियां जो उपरोक्त में सम्मिलित नहीं हैं	**5.28%**

एक माह हेतु पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक की गणना की विधि

1. एक कलेण्डर माह हेतु पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक (TAFM) की गणना तत्संबंधी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की जाएगी, संबंधित राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC) से इसको सत्यापित तथा प्रमाणित कराया जाएगा तथा पारेषण प्रभारों के आवंटन अनुसार इसे वर्गीकृत किया जाएगा।

2. किसी पारेषण प्रणाली/उप–प्रणाली हेतु, पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक (TAFM) प्रतिशत में (100 – 100 x NAFM) के बराबर होगा, जहां (NAFM) माह हेतु अनुपलब्धता कारक (Non-availability factor in the month-NAFM) प्रति यूनिट होगा।

3. ऐसी प्रणालियों/उप–प्रणालियों हेतु NAFM (माह हेतु अनुपलब्धता कारक) की गणना निम्नानुसार की जाएगी;

$$NAFM = [\sum_{l=1}^{L} (OH_l \times Ckt\ km_l \times NSC_l) + \sum_{t=1}^{T} (OH_t \times MVA_t \times 2.5)$$

$$+ \sum_{r=1}^{R} (OH_r \times MVAR_r \times 4)] \div THM \times [\sum_{l=1}^{L} (Ckt\ km_l \times NSC_l)$$

$$+ \sum_{t=1}^{T} (MVA_t \times 2.5) + \sum_{r=1}^{R} (MVAR_r \times 4)]$$

जहां कि

l- का तात्पर्य एक पारेषण तन्तुपथ (लाईन) सर्किट से है

t- का तात्पर्य ट्रांसफार्मर/अन्तर्संयोजित ट्रांसफार्मर (Inter connecting transformer -ICT)से है।

r- का तात्पर्य बस रिएक्टर, स्विच योग्य तन्तुपथ रिएक्टरों अथवा स्टेटिक वार कम्पेंसेशन (SVCs) से है।

L- तन्तुपथ सर्किटों की कुल संख्या

T- ट्रांसफार्मरों तथा अन्तर्संयोजित ट्रांसफार्मरों (ICTs) की संख्या

R- बस रिएक्टरों, स्विचयोग्य तन्तुपथ (लाईन) रिएक्टरों तथा स्टेटिक बार कम्पेंसेशन (SVCs) की संख्या

OH- अवरोध के घंटे अथवा माह के दौरान अनुपलब्धता की अवधि (घंटों में) जिसमें अवरोध की वह समय– अवधि सम्मिलित नहीं की जावेगी जो कण्डिका (5) के अनुसार यदि कोई हो, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के कारण नहीं है।

Cktkm- पारेषण लाईन सर्किट की लंबाई, किलोमीटर में

NSC- प्रति फेज उप–संवाहकों की संख्या

MVA- ट्रांसफार्मर/अन्तर्संयोजित ट्रांसफार्मर की एमवीए रेटिंग

MVAR- = बस रिएक्टर स्विच–योग्य तन्तुपथ रिएक्टर अथवा स्टेटिक वार कम्पेन्सेशन की एमवीए श्रेणी
(ऐसे प्रकरण में यह इण्डक्टिव तथा कैपेसिटिव क्षमताओं का योग होगा)

THM- माह के दौरान घंटों की संख्या

4. **अवरोध** (Outage) के अंतर्गत पारेषण तत्वों को निम्न कारणों से उपलब्ध माना जाएगा :

(i) अन्य पारेषण प्रणाली के संधारण अथवा निर्माण हेतु प्रणाली बंद किये जाने हेतु प्राप्त की गई सुविधा यदि अन्य पारेषण योजना पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्व में हो तो ऐसी दशा में राज्य भार प्रेषण केन्द्र मानी गई उपलब्धता अवधि को सन्निहित कार्य हेतु परिसीमित कर सकेगा, जैसा कि वह इसे युक्तियुक्त समझे।

(ii) राज्य भार प्रेषण केन्द्र के निर्देशानुसार किसी पारेषण तन्तुपथ की आधिक्य वोल्टेज को नियंत्रित किये जाने हेतु तथा चालू रिएक्टरों की हस्तचालित व्यवस्था द्वारा आपूर्ति बंद करना।

5. निम्न आकस्मिकताओं हेतु विचाराधीन अवधि के दौरान, पारेषण तत्वों की अवरोध अवधि को तत्व के कुल समय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा–

(i) दैविक प्रकोप तथा आपदाग्रस्त घटनाएं, जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों के कारण से हैं। तथापि, राज्य भार प्रेषण केन्द्र को तुष्ट करने का यह दायित्व कि अवरोध का तत्व उपरोक्त घटनाओं के कारणों से है, न कि रूपांकन की किसी असफलता के कारण, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का होगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा तत्व की पुनः स्थापना हेतु युक्तियुक्त समय पर विचार किया जाएगा तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तत्व की पुनर्स्थापना हेतु युक्तियुक्त समय के उपरांत लिये

गये अतिरिक्त समय को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के कारण लिया गया समय माना जाएगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अथवा किसी विशेषज्ञ को युक्तियुक्त पुनर्स्थापना समय का अनुमान किये जाने हेतु परामर्श ले सकेगा। आकस्मिक पुनर्स्थापना प्रणाली (Emergency Restoration System- ERS)के माध्यम से पुनर्स्थापित किये गये सर्किटों को उपलब्ध कराया गया माना जाएगा।

(ii) किसी ग्रिड की घटना/विक्षोभ (disturbance) के कारण घटित अवरोध, जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के कारण न हो, उदाहरण के तौर पर अन्य किसी एजेन्सी के स्वामित्व वाले उपकेन्द्र तथा 'बे' में दोष जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के तत्वों में अवरोध उत्पन्न करता हो, ग्रिड में विक्षोभ के कारण तन्तुपथों अन्तर्संयोजित ट्रांसफार्मरों आदि से विद्युत आपूर्ति बंद होना। तथापि, यदि ग्रिड की घटना/विक्षोभ के उपरांत तत्व की पुनर्स्थापना क्षेत्रीय राज्य भार प्रेषण केन्द्र से निर्देशों की प्राप्ति के उपरांत भी युक्तियुक्त समय में उसे सामान्य स्थिति में लाते समय प्राप्त न हो, तो ऐसी परिस्थिति में राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा पुनर्स्थापना हेतु अवरोध अवधि बाबत् जारी किये गये दिशा–निर्देशों के उपरांत तत्व को उपलब्ध न कराया गया माना जाएगा।